पत्रांक: 2/2022/1356/17एम(18)/35-आ0-1/2018-39 (टीसी-4)/1046

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, ग्राम्य विकास, संस्थागत वित्त, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, ऊर्जा, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, पंचायतीराज तथा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त,
   आगरा, आजमगढ़, बरेली, अयोध्या, चित्रकूटधाम, बस्ती, अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, विन्ध्याचल, कानपुर, झाँसी, देवीपाटन, वाराणसी तथा लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
   एटा, बलिया, बरेली, बाराबंकी, बाँदा, बस्ती, बदायूँ, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, बिजनौर, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, संतकबीर नगर, भदोही (संत रविदास नगर), संभल, देवरिया, फर्रूखाबाद, जालौन, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, गोण्डा, गोरखपुर, गाजीपुर, ललितपुर, अमेठी, जौनपुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तथा हरदोई, उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) लखनऊः दिनाँकः 12 जुलाई, 2022

विषयः 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में प्रगति के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-1/2022/17एम(18)/35-आ0-1/2018-39 (टीसी-4)/1046 दिनाँकः 24 मई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 05 विषयगत क्षेत्र यथा- चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना के अंतर्गत कुल 75 इंडीकेटर्स के आधार पर प्रदेश के चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों की प्रगति का अनुश्रवण किया जाना है। उक्त इंडीकेटर्स की दिनाँक 31 मार्च, 2022 तक की प्रगति/ आँकड़ों को बेसलाइन माना जायेगा तथा आगामी माहों में इसी बेसलाइन के आधार पर 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों की प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

2- चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किया जाना हैः

(1) जिलाधिकारी प्रथमतः अपने स्तर पर समस्त आकांक्षात्मक विकास खण्डों में शत-प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से अनुरोध कर शत-प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करायी जायेगी।

(2) आकांक्षात्मक विकास खण्डों में प्रगति के अनुश्रवण हेतु बनाये गये पोर्टल पर जनपद स्तर से फीड किये गये आंकड़ो का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा साप्ताहिक रूप से ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत का भ्रमण कर स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण तथा जिलाधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से बैठकें की जायें। शासन स्तर के सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा मासिक रूप से आकांक्षात्मक विकास खण्डों में भ्रमण कर इंडीकेटर्स के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

क्रमशः...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में रोजगार मेलों का आयोजन विकास खण्ड स्तर पर किया जाये तथा साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "एक जनपद – एक उत्पाद" के अन्तर्गत आकांक्षात्मक विकास खण्डों की पूर्ण सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये, जिससे कार्यक्रम का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाया जा सके।

(4) वित्तीय समावेशन तथा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु आकांक्षात्मक विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी की तैनाती सुनिश्चित की जाये।

(5) आकांक्षात्मक विकास खण्डों में स्थित समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाये तथा सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को नियमित पोषाहार वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में चिकित्साधिकारीयों की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाये तथा प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर को क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) समस्त राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में शुद्ध पेय जल, बिजली की सुचारू व्यवस्था, नियमित साफ-सफाई तथा छात्राओं हेतु पृथक रूप से क्रियाशील शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(8) समस्त राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम एवं पुस्तकालय की चरणबद्ध रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(9) प्रत्येक आकांक्षात्मक विकास खण्ड में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषक उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित कर क्रियाशील किये जायें।

(10) निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु समस्त आकांक्षात्मक विकास खण्डों में "गो आश्रय स्थल" क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) समस्त ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को क्रियाशील किया जाये तथा साथ ही ग्राम सचिवालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2/2022/1356(1)/17एम(18)/35-आ0-1/2018-39 (टीसी-4)/1046- तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव एवं प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, सचिव/ विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित नोडल अधिकारी।
8- राज्य योजना आयोग-1/2 ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।